



सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-15

सोमवार, दिनांक-24 मार्च, 2025 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 12:33 बजे अप० तक

[1] प्रश्नकाल :-

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए तथा आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपनी सूचना सही समय पर उठाने एवं अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् सदन में शांति कायम हुयी।

(i) 22 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 05 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 58 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या-1987 कला संस्कृति एवं युवा विभाग में स्थानांतरित।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ने अपनी सूचना को पढ़ा।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

आज सदन में तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्न सभासदों से प्राप्त हुई :-

(i) माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र, प्रसाद गुप्ता, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री महा नंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अरुण सिंह, श्री सउद आलम, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री गोपाल रविदास, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री सत्यदेव राम, श्री मोहम्मद अनजार नईमी एवं श्री छत्रपति यादव द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

(ii) माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इमान द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इमान द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

(iii) माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री रणविजय साहू, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी। परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा गया।

[3] समा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (i) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के परिणाम बजट; बाल कल्याण बजट; जेडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- (ii) बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- (iii) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से संबंधित समिति का 226वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- (iv) माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का पथ निर्माण विभाग से संबंधित अष्टम् प्रतिवेदन की एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

- | | |
|------------------------------|---|
| (i) श्री ललित नारायण मंडल | (xxii) श्रीमती नीतु कुमारी |
| (ii) श्री पवन कुमार जायसवाल | (xxiii) श्री अजय कुमार |
| (iii) डॉ० निक्की हेम्ब्रम | (xxiv) श्री रणविजय साहू |
| (iv) श्री अजीत कुमार सिंह | (xxv) श्री विद्या सागर केशरी |
| (v) श्री महा नंद सिंह | (xxvi) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता |
| (vi) श्री बीरेन्द्र कुमार | (xxvii) श्री मिश्री लाल यादव |
| (vii) श्री सउद आलम | (xxviii) श्री मोहम्मद अनजार नईमी |
| (viii) श्री अनिल कुमार | (xxix) श्री कुंदन कुमार |
| (ix) श्री रामबली सिंह यादव | (xxx) श्री छत्रपति यादव |
| (x) श्री सुर्यकान्त पासवान | (xxxi) श्री अखतरुल ईमान |
| (xi) श्री मुकेश कुमार यादव | (xxxii) श्री मुकेश कुमार रौशन |
| (xii) श्री अरुण सिंह | (xxxiii) श्री विनय बिहारी |
| (xiii) श्री अरुण शंकर प्रसाद | (xxxiv) श्री विनय कुमार चौधरी |
| (xiv) श्री राम सिंह | (xxxv) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव |
| (xv) श्रीमती भागीरथी देवी | (xxxvi) श्री विजय कुमार खेमका |
| (xvi) श्री समीर कुमार महासेठ | (xxxvii) श्री भरत बिन्द |
| (xvii) श्रीमती रश्मि वर्मा | (xxxviii) श्री शिव प्रकाश रंजन |
| (xviii) श्री अमरजीत कुशवाहा | (xxxix) श्री राजेश कुमार गुप्ता |
| (xix) श्रीमती प्रतिमा कुमारी | (xl) श्री कुमार शैलेन्द्र |
| (xx) श्री संदीप सौरभ | (xli) डॉ० रामानुज प्रसाद |
| (xxi) श्रीमती रेखा देवी | |

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह का जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह द्वारा पढ़ा गया एवं आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार मंडल द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, डॉ० सी० एन० गुप्ता का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, डॉ० सी० एन० गुप्ता द्वारा पढ़ा गया एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री, श्री प्रेम कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04:06 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] विधायी कार्य – राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा।

1. श्री तारकिशोर प्रसाद
2. श्री अजीत शर्मा
3. श्री विनय कुमार चौधरी
4. श्री अजीत कुमार सिंह
5. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
6. श्री अजय कुमार
7. श्री अखतरुल ईमान
8. श्री राज कुमार सिंह
9. श्री जनक सिंह

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा "बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025" पर अपना पक्ष रखा गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गये। आसन द्वारा सरकार के उत्तर तक सदन की कार्यवाही को विस्तारित करने की घोषणा की गई।

तदुपरान्त "बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025" सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 30 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-25 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-24.03.2025

ख्याति सिंह

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।